



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक: F37(2)/ नि.आ./ बीपीसी(एलपी)/ का.वि./ 2018/ 4161

दिनांक:- 08.05.2018

---कार्यवाही विवरण:---

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 03/2018 वीं बैठक दिनांक 02.05.2018 को प्रातः 9:30 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

| क्र. सं. | एजेण्डा संख्या | विषय  | निर्णय  |
|----------|----------------|---|---|
| 1.       | 01             | मास्टर प्लान 2023 के परिधि नियंत्रण पट्टी के संबंध में।   | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण में माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वास्थ्य शासन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 12.07.2017 में लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 25.07.2017 को कार्यवाही विवरण जारी किये गये(प्रति संलग्न)। उपरोक्त निर्णय के एजेण्डे संख्या 01 के बिन्दु संख्या (पप) में निम्नानुसार उल्लेख है :-</li><li>2. "वर्तमान में प्रभावी मास्टर प्लान के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित परिधि नियंत्रण क्षेत्र एवं प्रारूप मास्टर प्लान में सम्मिलित किये गये राजस्व ग्रामों के क्षेत्र में प्रारूप मास्टर प्लान के प्रस्तावानुसार कार्यवाही की जावे बशर्त प्रारूप मास्टर प्लान में भू-उपयोग पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हो।"</li></ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात उपरोक्त प्रावधान की उपरोक्तानुसार आगामी बैठक से लागू करने का निर्णय लिया गया।</p>  |
| 2.       | 02             | राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 825 के रकबा 11.06.00 बीघा का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।<br>आवेदक :- श्री रामपाल पुत्र श्री नारायणलाल नट (जोन पूर्व) | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. जोन की चैक लिस्ट अनुसार ले-आउट प्लान का परीक्षण कर लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित खसरा संख्या 824 की योजना से आवेदित भूमि को 40 फीट एप्रोच प्राप्त हो रही है। आवेदित भूमि एच.टी लाईन से प्रभावित है। प्रकरण में प्राधिकरण की विधि शाखा की रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है।</li><li>2. आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2023 के अर्न्तगत प्रस्तावित बाईपास व बाईपास के सहारे-सहारे दर्शाये गये अन्य सामुदायिक सुविधा तथा आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार बाईपास के मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जानी है।</li><li>3. आवेदित भूमि के समीप ही कार्यालय द्वारा पूर्व में अनुमोदित ले-आउट प्लान खसरा संख्या 824 में दर्शायी गयी सड़को का मिलान किया जाना अपेक्षित है।</li><li>4. आवेदित भूमि से गुजर रही एच.टी लाईन की क्षमता व क्षमता अनुसार नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी रखी जानी होगी।</li></ol> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. आवेदित भूमि में से एच.टी लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता तथा आवेदक भूमि की सीमा से एच.टी लाईन की दूरी/स्थिति बाबत कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी रखी जानी होगी।</li><li>2. आवेदित भूमि में से मास्टर प्लान की प्रस्तावित 200 फीट बाईपास सड़क गुजरती है उक्त बाईपास सड़क के सहारे-सहारे दर्शित ओ.सी.एफ का ले-आउट प्लान में अंकन किया जाना होगा।</li><li>3. आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने से ईडब्ल्यूएस/एलआईजी भूखण्डों हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर</li></ol> |

*(Handwritten signatures and initials)*

|    |    |  |  |
|----|----|--|--|
|    |    |  | <p>परिपत्रों अनुसार नियमानुसार शुल्क जमा किया जाना होगा।</p> <p>4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टे जारी किये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और न ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p>  |
| 3. | 03 | <p>राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 216/1 वगैरह भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।<br/>आवेदक :- श्री अमर आदेश्वर इन्फ्रा (जोन पूर्व)</p>  | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-<br/>प्रकरण को पूर्व में राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 209/2मीन 215/1, 215/2 237/1 कुल 11 बीघा 10 बिस्वा का ले-आउट प्लान मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत गठित प्राजेक्ट अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 31.03.2017 को पूर्व में अनुमोदित किया गया।<br/>अब प्रकरण में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या-216/1 रकबा-16 बीघा भूमि को सम्मिलित करते हुये एग्जाई आवासीय एकल पट्टा जारी किये जाने का निवेदन किया गया।<br/>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर किया हुआ था जो दिनांक 01.05.2018 को प्रार्थी द्वारा विद्रोत कर लिया गया है।</li> <li>2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी।</li> <li>3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और न ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादाारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</li> <li>5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टे जारी किये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</li> </ol> |
| 4. | 04 | <p>राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 66/2 के रकबा कुल रकबा 21-04 बीघा में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।<br/>आवेदक :- श्री गजूसिंह पुत्र स्व. श्री चैनसिंह, श्री कमलसिंह पुत्र स्व. श्री चैनसिंह (जोन पश्चिम)</p> | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को पहुच मार्ग मुख्य चौपासनी रोड से उपलब्ध होता है, उक्त सडक का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट की श्रेणी में आरक्षित है।</li> <li>2. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान, 2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र में आवासीय गतिविधिया अनुज्ञेय है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को पहुच मार्ग मुख्य चौपासनी रोड से उपलब्ध होता है, उक्त सडक का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट की श्रेणी में आरक्षित है। अतः उक्त सडक का मार्गाधिकार 200 फीट रखा जाना होगा जिसकी सुनिश्चिता उपायुक्त स्तर पर की जानी होगी।</li> <li>2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी।</li> <li>3. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टे जारी किये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</li> </ol>   |

*(Handwritten signatures and initials)*

|    |    |   |  |
|----|----|---|--|
|    |    |   | <p>नहीं रहे।</p> <p>4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादासी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p>   |
| 5. | 05 | <p>राजस्व ग्राम तिवरी के खसरा संख्या 30/7 के रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा 0 बिस्वासी भूमि का कृषि आधारित (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री सुखाराम (जोन पश्चिम)</p>              | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण को पूर्व में ले-आउट अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 20.07.2017 को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था, तत्समय आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2023 से बाहर होने से राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण में तदनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।</li> <li>2. आवेदित भूमि को पहुँच-मार्ग तिवरी स्टेशन से घेवडा जाने वाली सडक से प्राप्त हो रहा है, जिसका मार्गाधिकार जोन कि चैक लिस्ट अनुसार 60 फीट है। उक्त सडक का मार्गाधिकार पत्रावली के पैरा-10 अनुसार 100 फीट रखा जाना प्रस्तावित है।</li> <li>3. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान-2023 अनुसार ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज ग्रामीण क्षेत्र में 40 फीट व उससे अधिक की चौड़ाई पर अनुज्ञेय है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया। समिति द्वारा प्रकरण में जोन की नवीन चैकलिस्ट व नवीन मौका प्राप्त कर तथा आयोजना शाखा की पत्रावली में पैरा संख्या 27 व 33/एन पर आयुक्त महो. द्वारा की गयी टिप्पणी के क्रम में जोन स्तर से टिप्पणी प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>   |
| 6. | 06 | <p>राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 69/8, 69/9 के रकबा 03.10.04 बीघा भूमि का कृषि आधारित (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती संगीता पत्नी श्री भांगचन्द (जोन उत्तर)</p> | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जोन चैक लिस्ट अनुसार कृषि आधारित एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया, है। प्रस्तुत ले-आउट प्लान अनुसार आवेदित भूमि मण्डलनाथ-कडवड जाने वाली 100 फीट सडक पर स्थित है। जिसे 200 फीट चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। उक्त सडक राजस्व नक्शे में अंकित नहीं है। मौके पर आवेदित भूमि पर चार दिवारी निर्मित है एवं सडक निर्माण कार्य हो चुका है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में आवेदित भूमि के सामने स्थित 100फीट चौड़ी सडक को पूर्व में अनुमोदित ले-आउट प्लान अनुसार सडक को 200 फीट (सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट) चौड़ा रखे जाने का निर्णय लिया गया जिसकी सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे।</li> <li>2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी।</li> <li>3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</li> <li>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/कृषि आधारित उद्योग हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगे एवं उक्त अनुमोदन कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड का किया गया है भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे।</li> <li>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादासी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</li> <li>7. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक</li> </ol> |

|    |    |  |   |
|----|----|--|---|
|    |    |  | (पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे।  |
| 7. | 07 | राजस्व ग्राम दर्ज़र के खसरा संख्या 69, 69/7 के रकबा 05.03.07 बीघा भूमि का कृषि आधारित (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।<br>आवेदक :- श्रीमती पायल पत्नी राजेन्द्र सामरिया (जोन उत्तर) | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जोन चैक लिस्ट अनुसार कृषि आधारित एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। प्रस्तुत ले-आउट प्लान अनुसार आवेदित भूमि मण्डलनाथ-कडवड जाने वाली 100 फीट सड़क पर स्थित है। जिसे 200 फीट चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। उक्त सड़क राजस्व नक्शे में अंकित नहीं है। मौके पर आवेदित भूमि पर चार दिवारी निर्मित है एवं सड़क निर्माण कार्य हो चुका है। प्रस्तुत ले-आउट प्लान का तकनीकी परीक्षण एवं मौका निरीक्षण आयोजना शाखा के स्तर पर किया जाकर विधिक प्रावधानों के अनुरूप समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में आवेदित भूमि के सामने स्थित 100फीट चौड़ी सड़क को पूर्व में अनुमोदित ले-आउट प्लान अनुसार सड़क को 200 फीट (सड़क के मध्य बिन्दु से 100 फीट) चौड़ा रखे जाने का निर्णय लिया गया जिसकी सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे।</li> <li>2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी।</li> <li>3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</li> <li>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/कृषि आधारित उद्योग हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे।</li> <li>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</li> <li>7. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे।</li> </ol> |
| 8. | 08 | राजस्व ग्राम मोगडा कल्ला के खसरा संख्या 481 के रकबा 01.19 बीघा भूमि का फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।<br>आवेदक :- श्री हप्पाराम व दुर्गाराम (जोन दक्षिण)               | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में बी.पी.सी (एल.पी) कि बैठक दिनांक 07.02.2018 के प्रस्ताव संख्या 3 पर रखा जाकर निम्ननुसार निर्णय लिया गया :-<br/>"समिति द्वारा आवेदित भूमि के पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर में स्थित कटाण मार्ग के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की सीमा का अंकन कर व आवेदित भूमि के संबंध में जोन द्वारा मौका रिपोर्ट ली जाकर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।"<br/>उपरोक्त निर्णय के क्रम में जोन से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी जो आयोजना शाखा की पत्रावली के बिन्दु संख्या 22 व 24 पर अंकित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में आवेदित भूमि के उत्तर दिशा के पहुँच मार्ग की चौड़ाई 100 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोड़ा जावे तथा पूर्व एवं पश्चिम दिशा को लगने वाले मार्ग के पहुँच मार्ग की चौड़ाई 60 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 30 फीट छोड़ा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे।</li> <li>2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई</li> </ol>   |

*(Handwritten signatures and marks)*

|     |    |  |   |
|-----|----|--|---|
|     |    |  | <p>विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>3. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन फार्म हाउस एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे।</p> <p>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादायी प्रार्थी की स्वय की होगी।</p> <p>6. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु 'संबंधित' जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे।</p>   |
| 9.  | 09 | <p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/12, 77/13 के रकबा 07.13.10 बीघा भूमि का एग्री वेयर हाउस (कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- आर.जी.पी.जी रियल एस्टेट जरिये श्री घनश्याम अग्रवाल (जोन दक्षिण)</p> | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित प्रकरण में राजस्व रेकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या 77, रकबा 74.13 बीघा का छोटे-छोटे टुकड़ों में बंचान होकर मौके पर प्लॉटिंग है। उक्त खातेदारी भूमि में से 80 फीट का रास्ता मौके पर है।</p> <p>2. आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <p>1. प्रकरण में आवेदित भूमि को नियमानुसार प्रहूच मार्ग की चौड़ाई 80 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 40 फीट छोड़ा जावे। उक्त 80 फीट सडक का नियोजन की दृष्टी से निरन्तर रखा जावे एव सडक भाग में आने वाली भूमि को निशुल्क समर्पित किया जावे जिसकी सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे।</p> <p>2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी।</p> <p>3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/कृषि आधारित उद्योग हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। उक्त अनुमोदन एग्री वेयर हाउस प्रयोजन एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे।</p> <p>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादायी प्रार्थी की स्वय की होगी।</p> <p>7. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्ड की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे।</p> |
| 10. | 10 | <p>राजस्व ग्राम पाल चिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 550 के रकबा 01.01.16 बीघा भूमि का पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ ले-आउट</p>  | <p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>1. जोन चैकलिस्ट अनुसार मौके पर बाईपास इसी खसरे से निकलने पर शेष भूमि व बट्टा न. एवं रकबा नहीं होने से नक्शा सुपर इम्पोज नहीं हो सका एवं हरित पट्टी छोड़ने के बाद शेष भूमि कम ही बचती है इसका</p>   |


Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>प्लान अनुमोदन बाबत ।<br/>आवेदक :- श्री तुलसीराम पुत्र श्री पोकरराम<br/>(जोन-दक्षिण)</p> | <p>आंकलन किया जाना है। मौके पर इसी खसरे में दुकानें एवं टॉवर बना है एवं एल.टी. लाईन गुजर रही है। दुकाने चालू हालात में है एवं व्यवसायिक गतिविधियां व टॉवर संचालित है। प्रकरण ले-आऊट प्लान समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।<br/>समिति द्वारा बाद विचार विमर्श पश्चात प्रकरण में विस्तृत जाँच उपरान्त आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।</p> |
|--|--|---|

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



(महेन्द्र सिंह राठौड़)  
अध्यक्ष  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर



श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा  
आयुक्त  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर



अरुण पुरोहित  
सचिव  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर



श्री सुखराम  
निदेशक अभियांत्रिकी  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर



श्री श्रवण कुमार  
उपायुक्त (पूर्व)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर




श्रीमती चंचल वर्मा  
उपायुक्त (पश्चिम)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर



श्री अनिल पुनिया  
उपायुक्त (उत्तर)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर



श्री राकेश शर्मा  
उपायुक्त (दक्षिण)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर




(पी.आर. बेनिवाल)  
निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

परिशिष्ट-1

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 03/2018 वीं बैठक दिनांक 02.05.2018 को प्रातः 9:30 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |  |            |
|--|------------|
| 1. श्री महेन्द्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष, जो.वि.प्रा. जोधपुर।       | अध्यक्ष    |
| 2. श्री दुर्गेश बिस्सा आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर।               | संयोजक     |
| 3. श्री अरुण पुरोहित, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।                  | सदस्य      |
| 4. श्री सुखराम चौधरी, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य      |
| 5. श्री श्रवण कुमार उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर।         | सदस्य      |
| 6. श्रीमती चंचल वर्मा उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर।      | सदस्य      |
| 7. श्री अनिल पुनिया उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर।         | सदस्य      |
| 8. श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।       | सदस्य      |
| 9. श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।      | सदस्य सचिव |


  
निदेशक (आयोजना),  
एवं सदस्य सचिव,  
भवन मानचित्र समिति (एलपी)

क्रमांक :- 4161-4170

दिनांक:- 08.05.2018

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करें।

  
निदेशक (आयोजना),  
एवं सदस्य सचिव,  
भवन मानचित्र समिति (एलपी)

